अध्याय 1 – प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय वस्त्र उद्योग ने औद्योगिक उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में दिये गए योगदान के संबंध में भारतीय अर्थव्यस्था में अनुपम स्थान प्राप्त किया। मजबूत फाइबर तथा मजबूत उत्पादन आधार के बावजूद, विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से, अत्यंत अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की बड़े पैमाने पर मितव्ययता[1] के अभाव के कारण, यह उद्योग प्रभावित रहा।

अतः सरकार द्वारा यह अनुभूति की गई कि उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से आधुनिकीकरण प्रयासों हेतु केन्द्र बिन्दु उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय एवं समयबद्ध प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) जिसे इसके आगे 'योजना' कहा गया है, को क्रियान्वित किया जाए। वस्तुतः वस्त्र उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण हेतु योजना को वस्त्र मंत्रालय, जिसे इसके आगे 'मंत्रालय' कहा गया, द्वारा 1999–2000 में प्रारंभ किया गया था। योजना को बाद में 2007, 2011 तथा 2013 में संशोधित किया गया था। मंत्रालय ने 1999–2000 से 2013–2014 के दौरान टफ्स हेतु ₹ 18,580.45[2] करोड़ राजसहायता के रूप में जारी किए।

1.2 टफ्स की प्रमुख विशेषताएं

1.2.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

योजना का आरंभ 1999 में वस्त्र एवं जूट उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों[3]/खंडों[4] में निवेशों को उत्प्रेरित करने हेतु किया गया था जिसके तहत मंत्रालय द्वारा निर्धारित योजना योग्य मशीनरी/सामानों[5] की खरीद पर अनुमोदित नोडल बैंकों एवं नोडल संस्थाओं, जिनको इसके आगे वित्तीय संस्थान कहा गया है, से प्राप्त ऋणों पर ब्याज प्रतिपूर्ति (आई आर)[6]/पूंजी राजसहायता (सी एस)[7] का प्रावधान था। विभिन्न क्षेत्रों/खंडों हेतु निर्धारित दरों पर अनुमोदित वित्तीय संस्थानो द्वारा वास्तविक रूप से लिए गए ब्याज पर ब्याज प्रतिपूर्ति तथा पूंजी राजसहायता के साथ योजना को कार्यान्वित किया गया। योग्य मशीनरी/सामानों के विवरण को मंत्रालय द्वारा सरकारी संकल्पों (जी आर) के माध्यम से तथा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,

---

1 जिसके द्वारा उत्पादन की मात्रा बढ़ने से उत्पादन की औसत लागत गिर जाती है।

2 अप्रैल 1999 से मार्च 2007 तक ₹ 2,315.18 करोड़ निर्गमित किये तथा अप्रैल 2007 से मार्च 2014 तक ₹16,265.27 करोड़ निर्गमित किये।

3 लघु उद्योग (एसएसआई) तथा गैर–एसएसआई

4 कताई, बुनाई, निटिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग आदि

5 कैप्टिव उर्जा संयंत्र, एफयुलैंट ट्रीटमैंट प्लांट, ऊर्जा बचत यंत्र आदि

6 टफ्स योग्य वस्तुओं के क्रय हेतु लाभार्थियों द्वारा प्राप्त ऋण पर अनुमोदित वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा प्रभारित ब्याज का तयबद्ध भाग

7 मशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में अदा की गई राजसहायता तथा जिसके लिए एसएसआई एवं गैर–एसएसआई दानों इकाईयाँ योग्य है।

मुम्बई, जिसे इसके आगे 'वस्त्र आयुक्त'[8] कहा गया है, द्वारा जारी अनुगामी परिपत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया।

योजना को प्रारंभ में 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2004 तक पाँच वर्षों की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया था जिसे बाद में 31 मार्च 2007 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 10 वर्षों की अधिकतम अवधि हेतु पांच प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति की स्वीकृति देना योजना की प्रमुख विशेषता थी। चूँकि, मंत्रालय 10 वर्षों की अधिकतम अवधि हेतु टफ्स योग्य राजसहायता वितरण का उत्तरदायित्त्व लेता है इसलिए इसे मंत्रालय द्वारा 'प्रतिबद्ध देनदारी कहा गया है।

सरकार ने पाया कि योजना से वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न खंडों को अनेक लाभ हुए। वस्त्र क्षेत्र के कताई एवं मिश्रित खंडों को अधिकतम लाभ हुआ जबकि प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग, विद्युतकरघा आदि जैसे खंड जो कि वस्त्र वेल्यू चेन की कमजोर कड़ियाँ थी ने आधुनिकीकरण की क्षमता को प्राप्त नहीं किया।

1.2.2 रूपांतरित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एम–टफ्स)

कमजोर क्षेत्रों को योजना का लाभ देने हेतु तथा गारमेंटिंग व तकनीकी वस्त्रों[9] के सामर्थ्य को पहचानने पर, सरकार ने XI पंचवर्षीय योजना (2007–2012) मे योजना को जारी रखने के लिए विद्यमान योजना को रूपांतरित किया। एम–टफ्स मे गारमेंटिंग तथा तकनीकी वस्त्र खंडों को 10 प्रतिशत सीएस (5 प्रतिशत आई आर के अलावा) के रूप में अतिरिक्त समर्थन दिया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यमान योजना में कुछ परिवर्तन[10] भी किये गए तथा रूपांतरित योजना (एम–टफ्स) में एक अन्य घटक अर्थात मार्जिन मनी राजसहायता (एम एम एस)[11] को लाया गया। एम–टफ्स 01 अप्रैल 2007 से 28 जून 2010 तक की अवधि के दौरान संचालन में रही।

1.2.3 'ब्लैक आउट' अवधि

मंत्रालय के निर्देश पर, जुलाई 2010 में मैसर्स क्रीसील रिसर्च द्वारा एम–टफ्स का मूल्यांकन अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रकट हुआ कि सभी खंडों में लाभ अभी भी एक समान नहीं थे जिसमें से प्रोसेसिंग एवं विद्युतकरघा खंड प्रमुख चिंता के क्षेत्र के रूप में उभर कर आए। मूल्यांकन अध्ययन ने टफ्स को पूर्ण रूप से पुनर्गठित करने की अनुशंसा की। तदनुसार, सरकार ने योजना को पुनर्गठित करने का नीतिगत निर्णय लिया। अतः एम–टफ्स में परिवर्तन के अनुमोदित होने तक उसे बंद कर दिया गया तथा योजना के अतंर्गत नई स्वीकृतियों को 29 जून 2010 से जारी करने में रोक दिया गया।

---

8 वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय।

9 तकनीकी वस्त्र क्रियात्मक वस्त्र है जो विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होते है जिसमें ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग तथा निर्माण, कृषि स्वास्थ्य, उद्योग सुरक्षा, व्यक्तिगत बचाव आदि।

10 कताई मशीनरी पर आईआर की दर 5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत हो गई, जबकि विद्यमान योजना के अन्तर्गत अन्य सभी खंडों को 5 प्रतिशत आईआर मिलनी जारी रही, कर व शुल्कों को छोड़कर सीएस एवं आईआर को केवल मशीनों के मूलभूत मूल्य पर दिया जाएगा।

11 मंशीनरी की लागत के प्रतिशत के रूप में दी गई राजसहायता तथा जिसके लिए केवल एसएसआई इकाईयाँ ही योग्य हैं।

योजना 27 अप्रैल 2011 तक बंद रही। इस 10 माह की अवधि को 'ब्लैक आउट' अवधि के रूप में जाना जाता है।

1.2.4 पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आर–टफ्स)

जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.2.3 में उल्लिखित है, विद्यमान योजना (एम–टफ्स) को नई स्वीकृतियों हेतु ₹ 1,972 करोड़ की समग्र राजसहायता कैप[12] के साथ पुर्नगठित किया गया, इस पुनर्गठित योजना अर्थात आर–टफ्स की अवधि 28 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012[13] तक थी। टफ्स लाभों में सभी खंडों को उनका देय हिस्सा मिलने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न खंडों हेतु राजसहायता का हिस्सा अर्थात कताई हेतु 26 प्रतिशत, बुनाई हेतु 13 प्रतिशत, प्रोसेसिंग हेतु 21 प्रतिशत, गारमेंटिंग हेतु 8 प्रतिशत तथा अन्य हेतु 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया। आर–टफ्स की प्रमुख विशेषताऐं निम्नानुसार है:

- 5 *प्रतिशत* आई आर प्रदान करना, हालाँकि स्टैंड अलोन इकाइयों में कताई मशीनरियों के लिए आई आर 4 *प्रतिशत रखी गई*;
- लाभार्थियों के टफ्स पात्र ऋण की पुनर्भुगतान अवधि को 10 वर्ष (एम–टफ्स) से घटाकर 7 वर्ष किया गया; तथा
- एम एम एस हेतु विद्युतकरघा खंड के लिए पूंजी सीमा को बढ़ा दिया गया।

आर–टफ्स योजना को XII पंचवर्षीय[14] योजना के पहले साल अर्थात 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया।

1.2.5 संशोधित पुनर्गठित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (आरआर–टफ्स)

सरकार ने वस्त्र तथा जूट उद्योगों हेतु 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2017 तक संशोधित पुनर्गठित योजना (आरआर–टफ्स) के रूप में योजना को आगे जारी रखने का निर्णय लिया। चूँकि इस योजना में मार्च 2014 तक कुछ भी राजसहायता निर्गत नहीं की गई इसलिए इस योजना को लेखापरीक्षा हेतु नहीं चुना गया।

एम–टफ्स एवं आर–टफ्स की प्रमुख विशेषताएं ***अनुलग्नक 1*** में दी गई हैं।

---

[12] विद्यमान योजना के ओपन एंडेड प्रकृति की समस्या के समाधान हेतु नई स्वीकृतियों के लिए समग्र राजसहायता कैप को रखने का निर्णय लिया क्योंकि भविष्य की प्रतिबद्ध देनदारी को नियन्त्रित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

[13] जिसको आगे 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दिया गया था।

[14] 2012–2017

1.3 योजना हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

योजना के आयोजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु संगठनात्मक व्यवस्था को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1

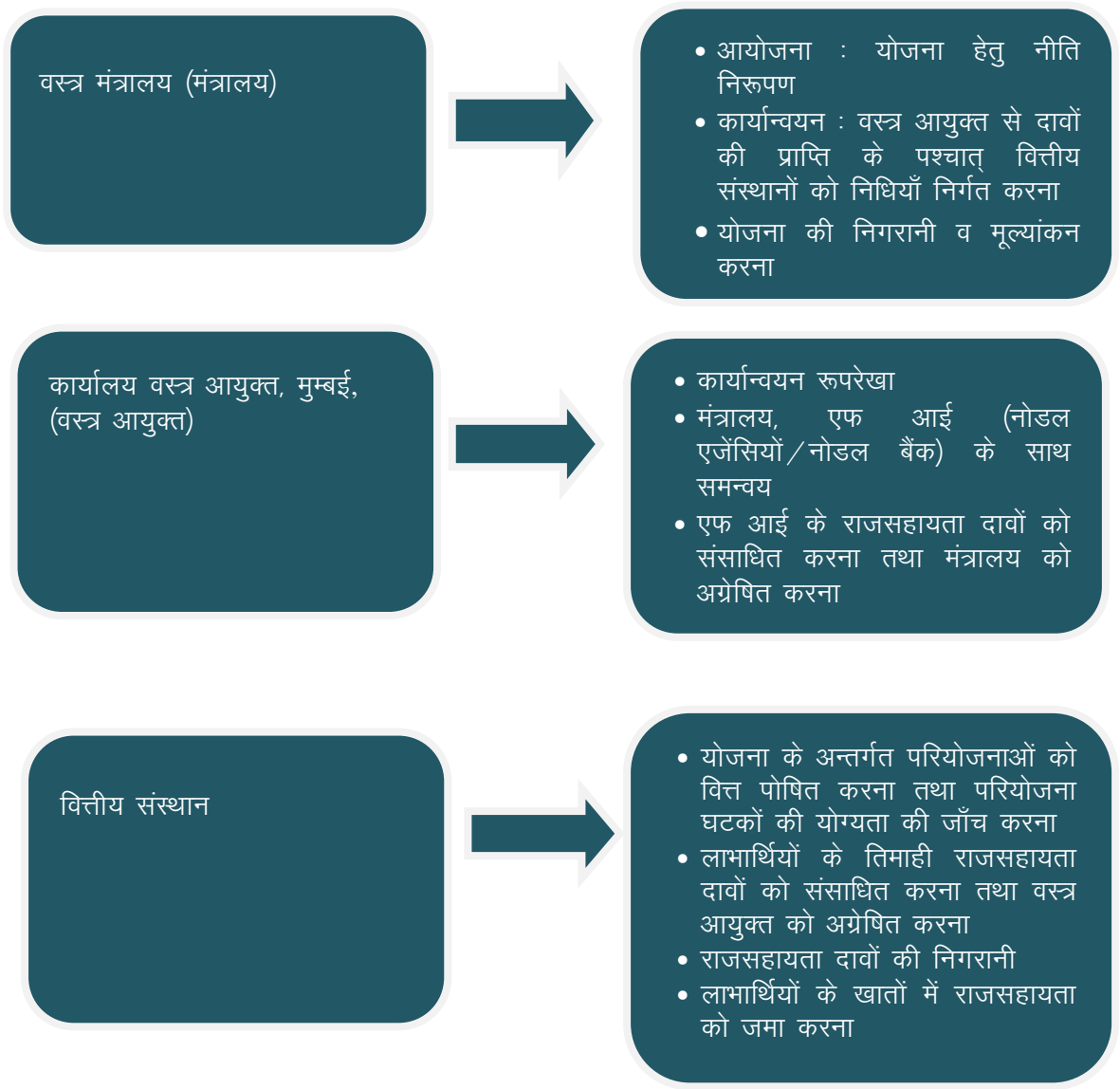

1.4 योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

1.4.1 वस्त्र मंत्रालय

योजना के कार्यान्वयन हेतु वस्त्र मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है। यह नीतियों को निरूपित करता है, स्वीकृति जारी करता है, राजसहायता निर्गत करता है तथा योजना की निगरानी करता है।

1.4.2 कार्यालय वस्त्र आयुक्त (वस्त्र आयुक्त)

वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय के प्रधान तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय की विभिन्न विकासात्मक तथा प्रोत्साहनात्मक योजनाओं को कार्यान्वित तथा निगरानी भी करता है। टफ्स को कार्यान्वित करने हेतु यह नोडल एजेन्सी है। वित्तीय संस्थानों द्वारा संसाधित सभी दावें (अर्थात आईआर, सीएस तथा एमएमएस) वस्त्र आयुक्त के माध्यम से भेजे जाते हैं। स्वीकृति को जारी करने तथा निधियों को निर्गत करने के लिए वस्त्र आयुक्त इन दावों को एकत्र करके मंत्रालय को अग्रेषित करता है। एम एम एस मामलों के संबंध में जहाँ लाभार्थी सीधे वस्त्र आयुक्त के पास पहुँचते हैं, वहाँ भी यह उनके दावों को संसाधित (एम–टफ्स एवं आर–टफ्स) कर, स्वीकृति जारी करता है तथा राजसहायता को निर्गत करता है।

1.4.3 वित्तीय संस्थान : नोडल एजेन्सियाँ तथा नोडल बैंक

नोडल एजेन्सी परियोजना को वित्त पोषित करती है, टफ्स के दृष्टिकोण से मामलों की योग्यता की जाँच करती है तथा योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी इकाईयों तथा मंत्रालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। विभिन्न खंडों हेतु योजना के अधीन अनुमोदित नोडल एजेन्सियाँ निम्नानुसार है:

खंड	नोडल एजेन्सी
वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर)	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई)
लघु उद्योग (एसएसआई) वस्त्र क्षेत्र	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई)
जूट उद्योग	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई)

नोडल एजेन्सियाँ ऋण की स्वीकृति तथा वितरण हेतु योजना में अन्य संस्थानों/राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों को भी बेहतर पहुँच के उद्देश्य से नियुक्त करती है।

उपरोक्त तीन नोडल एजेंसियों के अलावा, योजना के अधीन 36 बैंकों (***अनुलग्नक 2*** में वर्णित) को भी नोडल बैंक के रूप में नियुक्त किया गया। नोडल बैंक योग्यता को निर्धारित करते है तथा उनके द्वारा वित्त पोषित सभी मामलों के संदर्भ में योजना लाभ को निर्गत करते है।

1.5 टफ्स राजसहायता को निर्गत करने हेतु तंत्र

1.5.1 योजना के अन्तर्गत राजसहायता को निर्गत करने हेतु तंत्र निम्नानुसार हैः

चित्र 2

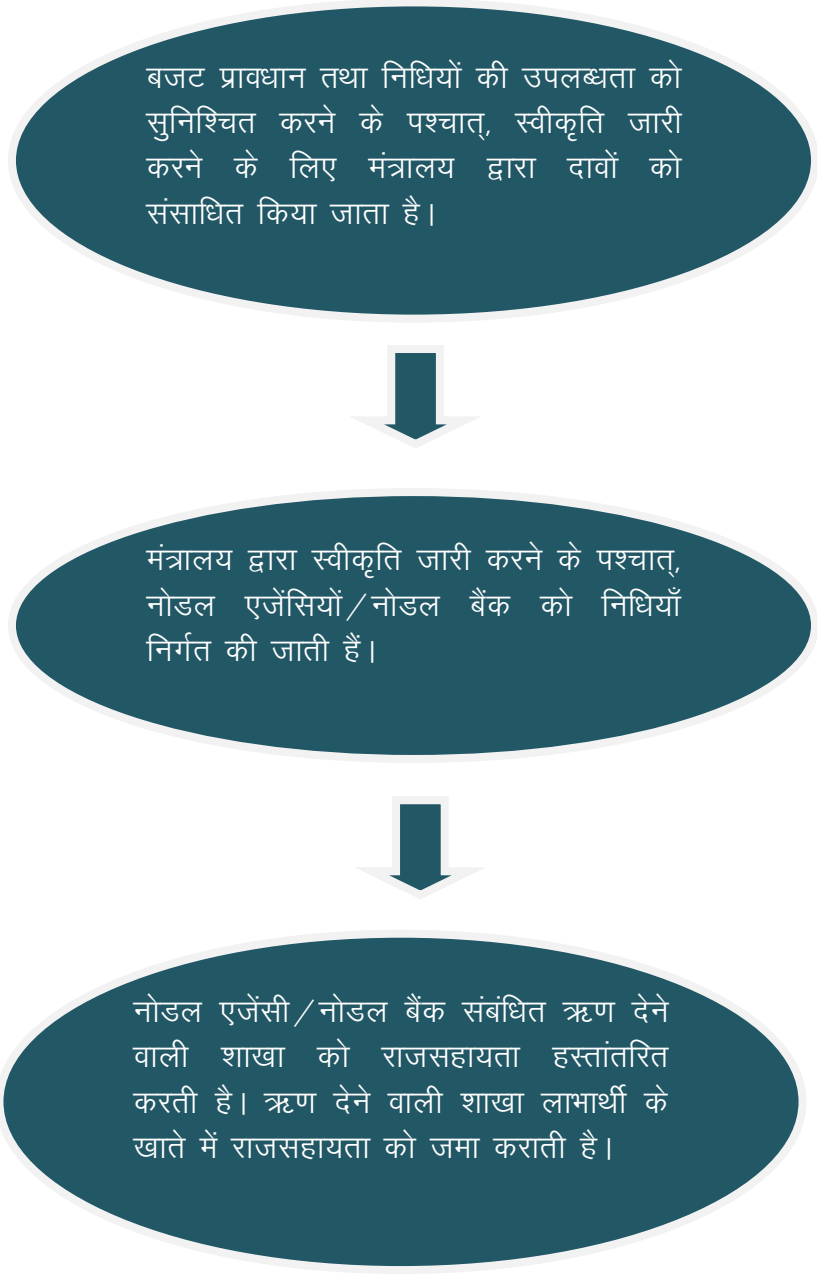

1.5.2 स्वीकृति को जारी करने तथा राजसहायता को निर्गत करने हेतु शर्तें:

योजना निम्न शर्तों को निर्धारित करती है जिसे मंत्रालय द्वारा स्वीकृति जारी करने तथा राजसहायता को निर्गत करने से पहले एफ.आई द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है:

- एफ आई द्वारा मंत्रालय को उनके अगले दावों को प्रस्तुत करने से पहले निर्धारित प्रारूप में यूसी को प्रस्तुत करना;
- वस्त्र आयुक्त के द्वारा निर्धारित प्रारूप में एफ आई द्वारा लाभार्थियों के यूनिट–वार आँकड़ों को प्रस्तुत करना;
- योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने के लिए सभी एफआई द्वारा पृथक बैंक खातों का रखना;
- एफ आई के पास उपलब्ध बकाया राशि को दर्शाना और उस बकाया राशि पर उपार्जित ब्याज को इस हेतु खोले गए खाते में जमा करना; तथा
- योजना के अंतर्गत एफआई द्वारा उपार्जित ब्याज को प्रत्येक तिमाही में पी.ए.ओ. वस्त्र मंत्रालय में जमा करना।

1.6 योजना की निगरानी

योजना की निगरानी अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति और तकनीकी सलाहकार सह देख रेख समिति के द्वारा की जाती है।

1.6.1 अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति

सचिव[15] वस्त्र मंत्रालय की अध्यक्षता में योजना को क्रियान्वित करने के लिए बृहत आधार पर नीति, मानदण्ड और दिशा–निर्देश निर्धारित करने हेतु मंत्रालय ने अंतर मंत्रालयीन संचालन समिति (आई एम एस सी), का गठन किया था। आई एम एस सी के कार्य निम्नलिखित है :

- योजना को कार्यान्वित करने के लिए मानदण्ड और दिशानिर्देशों का निर्धारण करना, जिसमें पुनःअदायगी का समय, मार्जिन मनी आवश्यकताएं इत्यादि शामिल है;
- समय–समय पर योजना के कार्यान्वयन की यह जाँचने के लिए समीक्षा करना कि योजना के उद्देश्य किस दिशा में तथा किस सीमा तक पूरे किए जा चुके हैं तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश मुहैया कराना;
- आवश्यक सुधारक उपाय करना/सुझाना;

[15] आर आर–टफ्स से मंत्री, वस्त्र मंत्रालय चेयरमैन थे।

- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सलाह के लिए तदर्थ समितियों का गठन करना;
- योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले साल में कम से कम तिमाही में एक बार, और इसके बाद छः महीने में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार कभी भी सभा करना; तथा
- सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा और विस्तार से अवगत कराते रहना।

1.6.2 तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन व निगरानी के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टी ए एम सी) का गठन किया गया था। तकनीकी कार्यों के अतिरिक्त टी ए एम सी के कार्य निम्नलिखित थे :

- एक वृहद स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा और उसके परिचालन का आलोचनात्मक विश्लेषण तथा प्रशासकीय एवं परिचालक अड़चनों का निराकरण; तथा
- योजना के कार्यान्वयन की दिशा एवं विस्तार से आई एम एस सी को अवगत कराते रहना।

1.7 वित्तीय लागत

01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2007 के दौरान मंत्रालय ने योजना लाभार्थियों को ₹ 2,315.18 करोड़ की राशि निर्गत की। योजना हेतु 2007–08 से 2013–14 तक मंत्रालय द्वारा निर्गत किये गये वर्ष–वार बजट आकलन, संशोधित आकलन व राजसहायता सारणी–1 में दिखाए गए हैं।

सारणी 1 : 2007–08 से 2013–14 तक मंत्रालय द्वारा निर्गत किया गया वर्ष–वार बजट आकलन, संशोधित आकलन और राजसहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	जारी राजसहायता
2007-08	945.00	1,185.37	1,143.37
2008-09	1,140.00	2,843.61	2,632.00
2009-10	3,140.00	3,073.84	2,885.98
2010-11	2,400.00	2,900.00	2,784.18
2011-12	3,100.00	3,700.00	2,937.82
2012-13	2,914.00	2,323.03	2,151.34
2013-14	2,400.00	1,952.56	1,730.58
कुल	**16,039.00**	**17,978.41**	**16,265.27**